# सांस्कृतिक कार्यकलापों में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुसंधान सहायता हेतु वित्तीय सहायता की योजना

## 1. शीर्षक

इस योजना का नाम सांस्कृतिक कार्यकलापों अर्थात् साहित्यिक, दृश्य और मंच कलाओं में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना होगा।

## 2. क्षेत्र

योजना में वे स्वैच्छिक संगठन शामिल हैं, जो सांस्कृतिक कार्यकलापों में लगे हुए हैं और जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की उसकी परंपराओं और दर्शन इत्यादि के संदर्भ में अनुसंधान कर रहे हैं। वे अखिल भारतीय स्वरूप अथवा राष्ट्रीय ख्याति के होने चाहिएँ और न्यूनतम तीन वर्ष से कार्यरत हों और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के XXI) के अधीन पंजीकृत हों। तथापि, यह योजना ऐसे संगठनों अथवा संस्थाओं पर लागू नहीं होगी, जो धार्मिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों अथवा विद्यालयों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

## 3. पात्रता

(क) किसी अनुदान के लिए पात्र बनने हेतु, ऐसी ऊपर यथाउल्लिखित संस्थाओं अथवा संगठनों के पास एक उपयुक्त रूप से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए, जिसके कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्टतया परिभाषित हों और किसी लिखित संविधान के रूप में प्रस्तुत किए गए हों।

(ख) संस्थाओं/संगठनों की वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए।

(ग) जिस योजना के लिए अनुदान की आवश्यकता है, इनके पास उसे आरंभ करने की सुविधाएँ, संसाधन, कार्मिक और अनुभव होने चाहिएँ।

## 4. सहायता किए जाने वाले कार्यकलापों के प्रकार और सहायता की सीमा

वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दी जाए :

(क) महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मामलों के संबंध में सम्मेलन, संगोष्ठियाँ और परिसंवाद आयोजित करना।

(ख) विकासात्मक-प्रकृति के कार्यकलापों जैसे सर्वेक्षणों के आयोजन, प्रायोगिक परियोजना इत्यादि संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।

## 5. सहायता की मात्रा

(क) जैसाकि विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, ऊपर पैरा 4 के अधीन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान 1,00,000/- रु. की अधिकतम की शर्त पर व्यय के 75% तक सीमित होगा।

6. केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदानों के संबंध में पृथक् लेखे रखे जाएंगे।

(क) भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा उनके विवेक पर उनके नामिती किसी भी समय संस्थाओं के लेखा की लेखा-परीक्षा कर सकते हैं।

(ख) अनुदानग्राही किसी सनदी लेखाकार द्वारा लेखा-परीक्षित, अनुमोदित परियोजना के संबंध में किए गए व्यय का ब्यौरा देते हुए तथा पिछले वर्षों में सरकारी अनुदान के उपयोग का उल्लेख करते हुए लेखाओं के विवरण भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगे। यदि उपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि के भीतर नहीं जमा किया जाता है तो अनुदानग्राही, यदि सरकार द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया गया हो, भारत सरकार प्राप्त किए गए अनुदान की पूरी धनराशि को, प्रचालित ऋण दर पर तुरंत वापस करने की व्यवस्था करेंगे।

(ग) भारत सरकार, संस्कृति विभाग एक समिति नियुक्त करके अथवा सरकार द्वारा निर्णय लिए गए किसी अन्य तरीके से जब कभी भी सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए, अनुदानग्राही संगठन/संस्था की समीक्षा कर सकती है।

(घ) अनुदानग्राही, योजना के अंतर्गत संगोष्ठी, सम्मेलन, परिसंवाद इत्यादि आयोजित करते समय विदेश मंत्रालय से अनुमति लिए बिना विदेशी शिष्टमंडल को आमंत्रित नहीं करेगा, जिसके लिए आवेदन निरपवाद रूप से संस्कृति विभाग के माध्यम से भेजे जाएंगे।

(ङ) यह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा।

## 7. आवेदन को प्रस्तुत करने की कार्यविधि

आवेदक को एक प्रति सीधी भेजनी चाहिए और दूसरी प्रति निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार के माध्यम से भेजनी चाहिए, जो एक माह के समय के भीतर विभाग के पास पहुँच जानी चाहिए। यदि एक माह के भीतर राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य सरकार को अनुरोध पर विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

(क) संगठन का संविधान।

(ख) प्रबंधन बोर्ड का गठन और प्रत्येक सदस्य के विवरण।

(ग) उपलब्ध नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि। संगठन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र (प्रतिलिपि)।

(घ) जिस परियोजना के लिए सहायता का अनुरोध किया गया है, उसकी अवधि सहित उसका विस्तृत विवरण और परियोजना के लिए नियोजित कर्मचारियों की अर्हताएँ एवं अनुभव।

(ङ) आवर्ती और अनावर्ती व्यय के पृथक रूप से मद-वार ब्यौरे देते हुए परियोजना का वित्तीय विवरण और वह स्रोत जहाँ से पूरक (काउंटरपार्ट) निधियाँ प्राप्त की जाएंगी।

(च) पिछले तीन वर्षों के लिए संस्था/संगठन की आय और व्यय का विवरण और किसी सनदी लेखाकार अथवा किसी सरकारी लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित पिछले वर्ष के तुलन-पत्र की एक प्रतिलिपि।

भारत सरकार

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग

# युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियाँ

संस्कृति विभाग **वर्ष 2005-06 के लिए युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति** प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है।

1. इस स्कीम के तहत **(i) भारतीय शास्त्रीय संगीत (ii) भारतीय शास्त्रीय नृत्य (iii) रंगमंच (iv) दृश्य कला और (v) लोक, पारम्परिक एवं स्वदेशी कलाओं में** विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष युवा कलाकारों को कुल 400 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
2. चुने गए छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं को छात्रवृत्ति प्राप्त होने के एक माह के भीतर किसी प्रतिष्ठित गुरू/संस्थान से पूर्णकालिक आधार पर दो वर्ष का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
3. चूँकि छात्रवृत्तियाँ उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के लिए प्रदान की जाती हैं, अतः उम्मीदवार को अपने गुरू/संस्थान से न्यूनतम पाँच वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र वर्तमान गुरू/संस्थान द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित प्रपत्र के भाग II के रूप में अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. इस छात्रवृत्ति के तहत अधिकतम दो वर्ष के लिए प्रतिमाह 2000/- रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार 18-25 **(अट्ठारह से पच्चीस) वर्ष की आयु** के कलाकार आवेदन के पात्र हैं।

**कृपया अपना आवेदन निम्नलिखित प्रपत्र में टंकित अपेक्षित औपचारिकताओं के साथ 30 जून, 2005 तक अनुभाग अधिकारी, एस एण्ड एफ अनुभाग, संस्कृति विभाग, कमरा नं. 333, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1 को अग्रेषित करें। कृपया लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में ''युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन'' लिखा होना चाहिए।**

## <u>प्रपत्र</u>

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र

(2005-06)

(भाग-I)

मुख्य क्षेत्र : उप क्षेत्र :

क्षेत्र कोड :

वाद्ययंत्र का नाम (यदि लागू हो) :

वाद्ययंत्र कोड :

01. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में :

02. पिता/पति का नाम :

03. माता का नाम :

04. (क) जन्मतिथि (ईस्वी सन् में) :

(ख) 01.4.2005 को आयु :

05. पत्राचार का पता, फोन नं. और ई–मेल (यदि कोई हो) :

06. वर्तमान व्यवसाय एवं आय (यदि कोई हो) :

07. (क) क्या आपने कभी किसी सरकार/संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा
कोई सम्मान, पुरस्कार, छात्रवृत्ति प्राप्त की है। हॉ/नहीं
(ख) यदि हॉँ, तो उसका ब्यौरा दें :

08. (क) शैक्षिक अर्हता :
(ख) संबंधित क्षेत्र में अर्हता :

09. गुरू (गुरूओं)/संस्थान (संस्थानों) का नाम जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया है
और प्रत्येक गुरू/संस्थान से प्राप्त ऐसे प्रशिक्षण की अवधि :
(कृपया गुरू/संस्थान से जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

10. कृपया गुरू के नाम और पते का उल्लेख करें जो इस छात्रवृत्ति
की स्कीम के तहत आपको प्रशिक्षण देंगे :
(कृपया गुरू/संस्थान से प्राप्त सहमति पत्र संलग्न करें)

11. कृपया संबंधित क्षेत्र में प्राप्त अनुभव और मूल ज्ञान का संक्षिप्त उल्लेख करें :

12. प्रशिक्षण का प्रस्तावित कार्यक्रम : (क) प्रथम वर्ष (ख) द्वितीय वर्ष

13. ऐसे दो विद्वान विशेषज्ञों/प्रतिष्ठित संस्थानों का नाम और पता जो आवेदनकर्त्ता
के संबंधित क्षेत्र में एक कलाकार के प्रत्यय–पत्रों को प्रमाणित करेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विवरण के संबंध में उक्त जानकारी सही और तथ्यात्मक हैं।

| | |
|---|---|
| दिनांक : | |
| | **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर** |

# भाग–II

## <u>वर्तमान गुरू/संस्थान का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ........................................................................ (उम्मीदवार का नाम) ........................................................ के क्षेत्र में ................. वर्षों से मेरे मार्गदर्शन में संस्थान से प्रशिक्षण कर रहा है/रही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इन्होंने अन्य गुरू/संस्थान से .............. वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अतः प्रशिक्षण की कुल अवधि ............. वर्ष है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .................................................... के चुने जाने पर उसे दो वर्ष का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

| | |
|---|---|
| गुरू/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर | |
| दिनांक : | **पता एवं मोहर** |

## <u>अनुदेश :</u>

(क) दृश्य कलाओं के मामले में आवेदक की नवीनतम कृतियों के छह फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड आकार के) तथा संगीत के मामले में आवेदक की प्रस्तुति की एक ऑडियो कैसेट आवेदन के साथ व्यवस्थित रूप से संलग्न करें।

(ख) **सभी क्षेत्रों में मूर्तिकला को छोड़कर दृश्यकलाओं के क्षेत्रों में** आवेदन करने वाले उम्मीदवार की **न्यूनतम अर्हता ललित कला में स्नातक या इसके समकक्ष होनी चाहिए। मूर्तिकला के मामले में कोई न्यूनतम अर्हता निर्धारित नहीं है।** ललित कला में स्नातक उपाधि की एक सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जाए।

(ग) जन्म प्रमाण–पत्र (विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र) अवश्य संलग्न किया जाए।

(घ) मूल प्रमाण–पत्र/शंसा–पत्रों को **संलग्न न किया जाए**। परन्तु उन्हें साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

(ङ) पुस्तक विवरणिकाएं/आलेख **आदि न भेजे जाएं।** आवेदन के साथ भेजे गए किसी भी दस्तावेज को वापस लौटाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(च) संगीत और नृत्य के मामले में घराना/सम्प्रदाय/विशेष विद्यालय (शाखा) के सम्बंध में संक्षिप्त टिप्पणी का उल्लेख किया जाए।

(छ) **ऐसे उम्मीदवार को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें इस स्कीम के तहत किसी भी क्षेत्र में पहले ही छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली हो।**

**(ज) इस स्कीम के तहत चयन के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर गुरू/संस्थान के परिवर्तन संबंधी किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

(झ) यदि बाद में किसी भी स्तर पर उम्मीदवार को प्रदत्त छात्रवृत्ति के संबंध में उसके लिए अयोग्य पाया जाता है तो उसे प्रदत्त छात्रवृत्ति को रद्द कर दिया जाएगा।

(ञ) उम्मीदवार जहाँ लागू हो आवेदन पत्र में **कोड नंबर** का स्पष्ट उल्लेख करें।

**(ट) क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत आवेदनों के साथ अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद संलग्न किया जाना अनिवार्य है।**

भारत सरकार

## पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
## संस्कृति विभाग

# उत्कृष्ट कलाकारों को अध्येतावृत्ति

संस्कृति विभाग वर्ष 2005-06 के लिए मंच, साहित्य और दृश्य कलाओं के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों को अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है।

अध्येतावृत्तियाँ अनुसंधानोन्मुख परियोजनाएँ शुरू करने के लिए प्रदान की जाती हैं। जैसाकि शैक्षिक अनुसंधान तथा कला प्रदर्शन संबंधी अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया जाता है। आवेदक संबंधित परियोजना शुरू करने में अपनी क्षमताओं का प्रमाण प्रस्तुत करें।

अध्येतावृत्तियाँ प्रशिक्षण देने, कार्यशालाओं, सेमिनारों का आयोजन करने या संस्मरणों के प्रलेखन/या आत्मकथाओं/कथा साहित्य आदि के लेखन के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।

अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए कुल 170 अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी जिनमें से;

(क) **85** अध्येतावृत्तियाँ 41 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के कलाकारों के लिए वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के नाम से **12 हजार रु.** प्रतिमाह की दर से दी जाएंगी।

(ख) **85** अध्येतावृत्तियाँ 25 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के कलाकारों को कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के नाम से **6 हजार रु.** प्रतिमाह की दर से दी जाएंगी।

(ग) विभाग को सूचीबद्ध कनिष्ठ अध्येतावृत्ति उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(घ) चुने गए उम्मीदवारों को उन परियोजनाओं के संबंध में शैक्षिक या अनुप्रयोगोन्मुख अनुसंधान कार्य शुरू करना होगा जिनके लिए उन्हें अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की गई हों। उम्मीदवारों को अपना परियोजना कार्य 2 वर्ष के भीतर पूरा करके इसे इस विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन पत्र www.indiaculture.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदक अपना आवेदन अपेक्षित औपचारिकताओं सहित निम्नलिखित **प्रपत्र** में भी टंकित करके 10 **नवम्बर,** 2005 तक अनुभाग अधिकारी, एस एण्ड एफ अनुभाग, कमरा नं. 333, 'सी' विंग, संस्कृति विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित कर सकता है।

# प्रपत्र

## वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी) :<br>(स्पष्ट अक्षरों में) | पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं |
| 2. | (क) वर्तमान पता : | |
| | (ख) स्थायी पता : | |
| | (ग) दूरभाष नं. और ई-मेल (यदि कोई हो) : | |
| 3. | (क) जन्मतिथि (ईस्वी सन् में) | |
| | (ख) 1.04.2005 को आयु : वर्ष ....................... माह ........................ | |
| 4. | वर्तमान व्यवसाय : | |
| 5. | आय : | |
| 6. | योग्यता : | |
| | (क) शैक्षिक योग्यता : | |
| | (ख) उक्त क्षेत्र में योग्यता : | |
| | (ग) कार्य एवं योगदान, यदि कोई हो;<br>(कृपया किए गए कार्य अथवा योगदान का संक्षिप्त आलेख प्रस्तुत करें, यदि कोई हो तथा विषय, संस्थानों/गुरु/गाइड आदि के ब्यौरे दर्शाएं जिनके मार्गदर्शन में आपने कार्य किया है।) (प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की फोटोप्रतियाँ संलग्न करें।) | |
| 7. | क्या आपने किसी संस्थान/विश्वविद्यालय/बोर्ड से कोई सम्मान/पुरस्कार/मान्यता अथवा अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त की है।<br>(यदि हाँ, कृपया प्रमाण-पत्र/दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के साथ उसके ब्यौरे प्रस्तुत करें।) | |
| 8. | अध्येतावृत्ति जिसके लिए आवेदन किया गया हो : वरिष्ठ/कनिष्ठ | |
| 9. | अध्येतावृत्ति का कार्यक्षेत्र :<br>(निम्नलिखित में से क्षेत्र और विशिष्ट उप-क्षेत्र का उल्लेख करें।) | |
| | i) मंच कलाएं<br>(संगीत/नृत्य/रंगमंच एवं कठपुतली कला) | |
| | ii) साहित्य कलाएं<br>(कविता/कथा साहित्य/नाटक/आलोचना/यात्रा वृतांत/साहित्य का इतिहास एवं सिद्धांत) (कृपया भाषा का उल्लेख करें।) | |
| | iii) दृश्य कलाएं<br>(लेखा चित्र कला/मूर्तिकला/चित्र कला/फोटोग्राफी) | |
| 10. | प्रारम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित अध्ययन : | |
| | (क) प्रस्तावित परियोजना दस्तावेज़ का शीर्षक | |
| | (ख) अध्ययन का क्षेत्र : शैक्षणिक अनुसंधान अथवा अनुप्रयोगोन्मुख | |
| | (ग) परियोजना दस्तावेज का सार<br>(सार का रूप अधिकतम 15-20 पृष्ठों के वृहत् परियोजना प्रस्ताव के रूप में होना चाहिए जिसमें कार्य की योजना के ब्यौरों, प्रस्तावित अध्ययन की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ इस आशय के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए कि | |

| | |
|---|---|
| | संबंधित परियोजना के लिए अध्येतावृत्ति के आवेदन का क्या आधार है।) परियोजना कार्य मूल रूप में होना चाहिए और जो हमारे ज्ञान संवर्धन में सहायक हो। नेमी क्षेत्र अध्ययन, प्रलेखन आदि न किया जाए। |
| 11. | ऐसे दो व्यक्तियों/संगठनों के नाम और पते जो आवेदकों के प्रत्येक पत्रों को प्रमाणित करेंगे। |
| प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विवरण के संबंध में उक्त जानकारी सही और तथ्यात्मक हैं। | |
| दिनांक : | |
| स्थान : | **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर** |

**<u>अनुदेश :</u>**

क. वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के आवेदक ने किसी भी क्षेत्र के तहत पहले कोई वरिष्ठ अध्येतावृत्ति प्राप्त नहीं की होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्राप्त की हो और वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने का इच्छुक हो तो वह उसके लिए तभी आवेदन कर सकता है जब उनकी कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के पूरा होने की तारीख से पाँच वर्ष का अंतराल हो गया हो। कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के आवेदक को किसी भी क्षेत्र के तहत पहले कोई कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्राप्त नहीं की होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने संस्कृति विभाग की युवा कलाकारों हेतु स्कीम के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त की है और कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो वे इसके लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब उनकी छात्रवृत्ति के पूरा होने की तारीख से पाँच वर्ष का अंतराल हो गया हो।

ख. यदि आवेदक केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/संस्थानों/उपक्रमों/विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों आदि में कार्यरत हैं तो उन्हें अध्येतावृत्ति के लिए चुने जाने पर दो वर्ष की अवधि के अवकाश पर जाना होगा। आवेदक इस लिखित आश्वासन के साथ संबंधित विभाग/संस्थान/उपक्रम/विश्वविद्यालय आदि के प्रमुख के माध्यम से अपना अध्येतावृत्ति आवेदन प्रस्तुत करें कि यदि अध्येतावृत्ति स्वीकृत होती है तो अभ्यर्थी को विभाग/संस्थान आदि के नियमों के अनुसार अध्येतावृत्ति की अवधि के लिए अवकाश प्रदान कर दिया जाएगा। अध्येतावृत्ति की प्रथम किस्त अन्य अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं पर यथालागू अन्य शर्तों को पूरा करने के अलावा स्वीकृत अवकाश का प्रमाण प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

ग. दृश्य कलाओं के मामले में आवेदक की कृतियों की छः फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न की जाए।

घ. पुस्तकें/विवरणिकाएं/कैसेट **न भेजी जाएं।**

ङ. आवेदक, दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम के तहत संस्कृति विभाग, भारत सरकार से पेंशन प्राप्तकर्त्ता नहीं होना चाहिए।

च. यह विज्ञापन और प्रपत्र विभाग की वेबसाइट : www.indiaculture.nic.in पर भी उपलब्ध है।

छ. अधूरे आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

# मंच, साहित्यिक तथा प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

## उद्देश्य

1. सृजनात्मक कलाओं के क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों की समीक्षा से पता चला कि जहाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई अध्येतावृत्तियों के माध्यम से शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों के लिए किसी संस्थागत ढाँचे में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की संभावनाएं हैं, वहीं ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके तहत सृजनात्मक कलाओं के क्षेत्रों में ऐसी सुविधायें और अवसर हों या हमारे कुछेक परम्परागत कलारूपों को पुनर्जीवित किया जा सके। मुक्त परिवेश के साथ-साथ वित्तीय सुरक्षा से इस क्षेत्र में आगे कार्य करने के लिए अत्यंत अपेक्षित अनुकूल वातावरण मिल सकता है। यह भी देखा गया है कि यद्यपि 10-14 वर्ष की आयु (सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम) और 18-25 वर्ष की आयु वर्ग के लिए स्कीमें हैं तथापि, ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिससे काफी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण या हमारे कुछ परम्परागत कलारूपों के लिए व्यक्तिगत सृजनात्मक प्रयास, साहित्यिक, प्लास्टिक तथा मंच कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्ति को मूल वित्तीय सहायता मिल सके। इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने की एक स्कीम शुरू करने का निर्णय किया गया है। इस स्कीम से ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में कलाकारों को भी लाभ मिलेगा।
2. उक्त स्कीम 'मंच, साहित्य और प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम' के नाम से जानी जाएगी।
3. प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली अध्येतावृत्ति की संख्या 170 है। ये दो प्रकार की हैं, नामतः - वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अध्येतावृत्तियाँ। वरिष्ठ अध्येतावृत्तियों की संख्या 85 होगी जो 40 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के कलाकारों को 12000/- रु. प्रतिमाह दी जाएगी। कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों की संख्या 85 होगी जो 25-40 वर्ष आयु वर्ग के कलाकारों को 6000/- प्रतिमाह दी जाएगी। आयु की गणना पहली अप्रैल से की जाएगी।
4. अध्येतावृत्तियाँ शोधोन्मुख परियोजनाएँ शुरू करने के लिए दी जाती हैं। चूँकि शैक्षिक शोध और मंच संबंधित शोध, दोनों ही प्रोत्साहित की जाती हैं, अतः आवेदक को परियोजना शुरू करने के लिए अपनी दक्षता का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।
5. अध्येतावृत्तियाँ प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों के आयोजन अथवा संस्मरणों के प्रलेखन/अथवा जीवनी/कथा साहित्य लेखन आदि के लिए नहीं दी जाती हैं।
6. कला और संस्कृति के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली परियोजनाएं, जैसे सी डी तैयार करना, वेबसाइट का विकास, प्रलेखन, डाटा बेस आदि प्रोत्साहित की जाएंगी।
7. वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदक 'दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे कलाकारों को वित्तीय सहायता अनुदान की स्कीम' के अंतर्गत इस विभाग से पेंशन लेने वाला नहीं होना चाहिए।
8. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें अध्येतावृत्ति प्रदान की जा चुकी है, दूसरी अध्येतावृत्ति के पात्र नहीं होंगे जब तक उनकी पहली अध्येतावृत्ति के बाद 5 वर्ष का अंतराल न हो।
9. वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के तहत, अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्त्ता चौमाही परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी रिपोर्टें समय से प्राप्त न होने की स्थिति में विभाग, चूककर्त्ता की आगे की धनराशि रोक सकता है।
10. चयनित अभ्यर्थियों को उन परियोजनाओं जिनके लिए उन्हें अध्येतावृत्ति दी गई है, पर शैक्षिक अथवा अनुप्रयोगोन्मुख शोध कार्य शुरू करना होगा। उन्हें अपनी परियोजनाएँ दो वर्षों के भीतर पूरी करनी होंगी और इस विभाग में प्रस्तुत करनी होंगी। इसके लिए समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अवर सचिव

फा. सं. दिनांक :

## प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .......................................................................................................... निवासी ........................................................................................................................................ ने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही 'विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति' प्रदान करने की स्कीम के तहत ..... ...................................... के क्षेत्र में .................................. से दो वर्षों की छात्रवृत्ति पूरी कर ली है।

(......................................)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

श्री ..........................................
..................................................
..................................................

# विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की स्कीम

## 1. उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य उत्कृष्ट प्रतिभा के युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला, लोक, परंपरागत एवं देशी कलाओं तथा सुगम संगीत के क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

छात्रवृत्तियों की संख्या -- 400

## 2. विषय/क्षेत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय शास्त्रीय संगीत | हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत (गायन एवं वाद्य)<br>कर्नाटक शास्त्रीय संगीत (गायन एवं वाद्य) आदि। |
| 2. | भारतीय शास्त्रीय नृत्य | भरतनाट्यम, कथक, कुचीपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी नृत्य/संगीत, सतरिया नृत्य। |
| 3. | रंगमंच | रंगमंच कला का कोई विशिष्ट क्षेत्र जिसमें अभिनय, निर्देशन आदि शामिल हो किन्तु नाटक लेखन एवं शोध शामिल न हो। |
| 4. | दृश्य कलाएँ | लेखाचित्र कला, मूर्तिकला, चित्रकला, फोटोग्राफी, भांडकर्म एवं मृत्कला आदि। |
| 5. | लोक, परंपरागत एवं देशी कलाएं | कठपुतली कला, स्वाँग, लोक रंगमंच, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत आदि। (निर्देशक सूची पैरा-8 की टिप्पणी में दी गई है।) |
| 6. | सुगम शास्त्रीय संगीत | (क) ठुमरी, दादरा, टप्पा, कव्वाली, ग़ज़ल।<br>(ख) कर्नाटक शैली आदि पर आधारित सुगम शास्त्रीय संगीत।<br>(ग) रवीन्द्र संगीत, नज़रूल गीति, अतुल प्रसाद। |

ऐसे उम्मीदवार, जो विशेष रूप से ललित कला और संगीत के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं, इस स्कीम के तहत चुने जाने पर चयन समिति के विवेक पर अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं।

## 3. अवधि :

छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्षों की होगी।

प्रशिक्षण का स्वरूप प्रत्येक मामले में अध्येता के पूर्व प्रशिक्षण और उसकी पृष्ठभूमि पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाएगा। सामान्तया यह गुरू/शिक्षक अथवा मान्यता-प्राप्त संस्थान के अंतर्गत उच्च प्रशिक्षण होगा।

अध्येता को पूर्ण-कालिक आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण में संबंधित विषय/क्षेत्र के सिद्धान्त भाग का ज्ञान अर्जित करने के साथ-साथ सम्बद्ध विषयों के परिबोधन के लिए दिए गए समय के अलावा अकेले अभ्यास के लिए न्यूनतम तीन घंटे का समय शामिल होगा।

शिक्षावृत्ति की अवधि के दौरान अध्येता को अन्य कार्य (शैक्षणिक अध्ययन सहित) करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपवादस्वरूप मामलों में, अभ्यर्थी को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि यह उस विषय/क्षेत्र से संबंधित हो, जिसके लिए शिक्षावृत्ति प्रदान की गई है।

## 4. पात्रता की शर्तें

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ख) अभ्यर्थी को अपना प्रशिक्षण प्रभावी रूप से जारी रखने के लिए पर्याप्त सामान्य शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए।

(ग) अभ्यर्थी को इन कलाओं को व्यावसायिक पेशे के रूप में अपनाने के लिए अपनी इच्छा का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(घ) चूँकि शिक्षावृत्तियाँ उच्च प्रशिक्षण के लिए अभिप्रेत है, न कि आरंभकों के लिए, अतः अभ्यर्थी के पास अपने चयनित कार्यक्षेत्र में दक्षता की उपाधि पहले से ही होनी चाहिए, और

(ङ) अभ्यर्थी को संबंधित कला/विषय में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

## 5. आयु :

अभ्यर्थी की आयु चालू वर्ष की पहली अप्रैल को 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु में छूट नहीं दी जाएगी।

## 6. छात्रवृत्ति की धनराशि :

प्रत्येक अध्येता को उसके जीवन–यापन संबंधी व्यय एवं यात्रा, पुस्तकों, कला सामग्री अथवा अन्य उपकरण व्यय तथा शिक्षण अथवा प्रशिक्षण शुल्क, यदि कोई हो, के लिए 2000/– रु. प्रतिमाह दिया जाएगा।

## 7. चयन :

प्रारंभिक चयन के परिणामस्वरूप संस्तुत अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष साक्षात्कार/प्रदर्शन के लिए उपस्थित होना होगा। अंतिम चयन, केन्द्रीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयन पूर्णरूपेण योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

*******

## क्षेत्र एवं उप-क्षेत्र कूट सूचियाँ

| क्षेत्र कूट | क्षेत्र का नाम | उप-कूट | उप-क्षेत्र का नाम | कूट | उप-क्षेत्र का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | शास्त्री संगीत | 01 | हिन्दुस्तानी गायन | 02 | हिन्दुस्तानी वाद्य |
| | | 03 | कर्नाटक गायन | 04 | कर्नाटक वाद्य |
| 02 | नृत्य एवं नृत्य संगीत | 01 | भरतनाट्यम | 02 | कथक |
| | | 03 | कुचीपुड़ी | 04 | मोहिनीअट्टम |
| | | 05 | ओडिसी | 06 | मणिपुरी * |
| | | 07 | थांगता | 08 | कथकली |
| | | 09 | छऊ | 10 | गौड़िया नृत्य |
| | | 11 | ओडिसी संगीत | 12 | छऊ संगीत |
| | | 13 | मणिपुरी संगीत | 14 | सतरिया नृत्य |
| 03 | यह कूट इस स्कीम के अंतर्गत लागू नहीं होगा। | | | | |
| 04 | रंगमंच | कोई उप-क्षेत्र कूट नहीं। | | | |
| 05 | दृश्य कला | 01 | रेखाचित्र | 02 | मूर्तिकला |
| | | 03 | चित्रकला | 04 | फोटोग्राफी |
| | | 05 | भांडकर्म एवं सिरेमिक्स | 99 | अन्य |
| 06 | लोक/पारंपरिक एवं देशी कलाएं | 01 | कठपुतली कला | 02 | स्वांग |
| | | 03 | लोक रंगमंच | 04 | लोक नृत्य |
| | | 05 | लोकगीत | 06 | लोक संगीत |
| | | 99 | अन्य | | |
| 07 | सुगम शास्त्री संगीत | 01 | ठुमरी, दादरा, टप्पा आदि। | | |
| | | 02 | कव्वाली | | |
| | | 03 | ग़ज़ल | | |
| | | 04 | रवीन्द्र संगीत/नज़रूल गीति/अतुल प्रसाद | | |
| | | 05 | कर्नाटक शैली पर आधारित सुगम शास्त्रीय संगीत | | |
| | | 99 | सुगम शास्त्रीय संगीत की अन्य श्रेणियाँ। | | |

* इसमें मणिपुरी नृत्य/संगीत के सभी पारंपरिक रूप शामिल हैं।

## वाद्य यंत्र कूट सूची

| कूट | वाद्ययंत्र | कूट | वाद्ययंत्र | कूट | वाद्ययंत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | बेला वादन | 02 | बांसुरी | 03 | घटम |
| 04 | गिटार | 05 | हारमोनियम | 06 | इसराज |
| 07 | खँजीरा | 08 | मृदंगम | 09 | नागस्वरम् |
| 10 | पखावज़ | 11 | सितार | 12 | वीणा |
| 13 | वायलिन | 14 | संतूर | 15 | सारंगी |
| 16 | सरोद | 17 | शहनाई | 18 | तबला |
| 19 | तार शहनाई | 20 | ताविल | 21 | विचित्रवीणा |
| 22 | मंडोलिन | 23 | गोट्टूवाद्यम | 24 | रूद्रवीणा |
| 99 | अन्य | | | | |

| नाम व पता : | क्षेत्र : | उप–क्षेत्र : | वाद्ययंत्र |
|---|---|---|---|
| | | गुरु का नाम : | |

चयन का वर्ष : कार्यभार ग्रहण की तारीख :

फाइल संख्या : नामांकन संख्या :

| | अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट | | | छात्रवृत्ति की मंजूरी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि | प्राप्त किया (हाँ/नहीं) | प्राप्ति की तारीख | अनुस्मारक की तारीख | स्वीकृत फाइल सं. | स्वीकृत राशि | अवधि | टिप्पणियाँ |
| पहली अर्ध वार्षिक रिपोर्ट | | | | | | | |
| दूसरी अर्ध वार्षिक रिपोर्ट | | | | | | | |
| तीसरी अर्ध वार्षिक रिपोर्ट | | | | | | | |
| चौथी अर्ध वार्षिक रिपोर्ट | | | | | | | |

| नाम व पता : | क्षेत्र : |
|---|---|
| | उप–क्षेत्र : |
| | स्कीम : वरिष्ठ अध्येतावृत्ति/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति |
| परियोजना शीर्षक : . | |

चयन का वर्ष : कार्यभार ग्रहण की तारीख :

फाइल सं. नामांकन संख्या :

| | चौमाही प्रगति रिपोर्ट | अध्येतावृत्ति की स्वीकृति | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अवधि | प्राप्त किया (हॉं/नहीं) | स्वीकृत फाइल सं. | स्वीकृत राशि | अवधि | टिप्पणियॉं |
| पहली रिपोर्ट | | | | | |
| दूसरी रिपोर्ट | | | | | |
| तीसरी रिपोर्ट | | | | | |
| चौथी रिपोर्ट | | | | | |
| पॉंचवीं रिपोर्ट | | | | | |
| छठवीं रिपोर्ट | | | | | |